

कार्यालय का नाम.....

क्रमांक—

दिनांक

आरटीई एक्ट, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेशित बालकों के पुनर्भरण हेतु अतिरिक्त बजट राशि का मांग पत्र (सत्र 20.....-20..... की प्रथम/द्वितीय किस्त हेतु)

लेखामद.....

IFMS code.....

1. मूल आवंटन की राशि.....(हजारों में) दिनांक.....
(पत्र क्रमांक—शिविरा/प्रारं/बजट अनु/बी/ / दिनांक.....)
2. मूल आवंटन राशि में भुगतान किये गये विद्यालयों की संख्या.....
3. अब तक कुल व्यय राशि.....(हजारों में)
4. अवशेष राशि.....(हजारों में)
5. अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु मांग राशि.....(हजारों में)
6. अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु मांग राशि में सम्मिलित विद्यालयों की संख्या.....
7. अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु मांग राशि का विद्यालयवार औचित्य परक कारणों सहित विवरण:
(सूची निम्न प्रारूप में संलग्न करें)

क्र सं.	सत्र	प्रथम/द्वितीय किस्त	विद्यालय नाम	डाईस कोर्ड	कार्यालय में क्लेम बिल प्राप्त होने की दिनांक	राशि	औचित्य परक कारण
---------	------	---------------------	--------------	------------	---	------	-----------------

आहरण वितरण अधिकारी के स्वयं के हस्ताक्षरशुदा प्रमाण—पत्र

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि—

1. इस कार्यालय के अधीन संचालित गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत क्लेम बिल आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के पुनर्भरण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 व राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के अनुसार पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है।
2. गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत क्लेम बिल में से कार्यालय द्वारा समस्त प्रकार के समायोजन करने के पश्चात् तैयार की गई अतिरिक्त मांग राशि.....रुपये (अंकों में).....
.....रुपये(शब्दों में) औचित्य परक है एवं भुगतान योग्य है। इसके अतिरिक्त इस ब्लॉक में किसी भी गैर सरकारी विद्यालय का क्लेम बिल लम्बित नहीं है।

हस्ताक्षर

आहरण वितरण अधिकारी का नाम
(बीईईओ/जिशिअ माशि/जिशिअ प्राशि) की
मोहर सहित